न्यायालय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश, उत्पाद
रोहतास,सासाराम।

सासाराम (नगर)थाना काण्ड सं0 1015/2018

भगवान बाबु सोनकर

बनाम्

बिहार सरकार

02.03.2020 काराभियुक्त/आवेदक भगवान बाबु सोनकर की ओर से दिनांक 29.01.2020 को दाखिल जमानत आवेदन पर सुनवाई पश्चात आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन है कि आवेदक/अभियुक्त सासाराम (नगर) थाना काण्ड सं. 1015/2018में धारा 414 भा.द.वि. के साथ धारा 30(a)बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत आरोपित है जिसमें वह दिनांक 07.12. 2019 से न्यायिक अभिरक्षा में है जिस जमानत आवेदन की प्रति पूर्व में ही विशेष लोक अभियोजक श्री रामेश्वर सिंह को दी गई है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता अभिकथन करते हैं कि आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है। आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है तथा घटनास्थल पर कोई भी घटना घटित नहीं हुई है। उसे गांव की गंदी ग्रामीण राजनीति के कारण झूठा इस वाद में संलिप्त किया गया है। आरोपित आरोप आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध लागू नहीं होता है क्योंकि आवेदक/अभियुक्त के भौतिक कब्जा से उत्पाद संबंधी कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं किया गया है तथा जप्ती सूची के अनुसार बरामद शराब से आवेदक/अभियुक्त का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वह शराब का व्यवसाय नहीं करता है। जब्त मोटर साईकिल का वह पांचवा खरीद करने वाला व्यक्ति है। आवेदक/अभियुक्त जब्त वाहन का चालक है और उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उसके वाहन में कोई अवैध उत्पाद संबंधी मादक पदार्थ है। जब्ती सूची के सभी गवाह पुलिस कर्मी है, कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है तथा सम्पूर्ण अभियोजन कथन बनावटी, निराधार एवं मिथ्या है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और बिना किसी विधिक साक्ष्य के न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक/अभियुक्त न्यायालय के आदेशानुसार बंध पत्र दाखिल करने हेतु तैयार है। अतः आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक उत्पाद रोहतास सासाराम जमानत आवेदन का विरोध करते हुये इसे अस्वीकृत करने का अनुरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। संक्षेप में अभियोजन का मामला सूचक रामेश्वर मिश्रा पु.अ.नि. के स्वलिखित आवेदन के आधार पर यह है कि सूचक दिनांक 13.07.2018 को समय लगभग 06.30बजे सुबह में सशस्त्र बल के साथ प्रभात गस्ती में पोस्ट ऑफिस चौक के निकट पैन्थर मोबाइल के हवलदार राजेन्द्र सिंह यादव, सिपाही संतोष कुमार पाण्डेय एवं सिपाही गौतम कुमार के द्वारा सूचित किया गया कि अगरेर के तरफ से एक कार में विदेशी शराब आने की सूचना है। इस सूचना को वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुये आवश्यक कार्यवाही हेतु सशस्त्र बल एवं पैन्थर मोबाइल के साथ ज्योंहि लालगंज नहर पुल के निकट पहुंचे तो स्लेटी रंग का टाटा इण्डिको कार उत्तर दिशा से आई जिनको रोका गया तो पुलिस को देखते ही चालक सहित दो व्यक्ति कार से उतरकर भागा। तीसरा व्यक्ति को भागने के प्रयास करते, शक के आधार पर पकड़ा गया। अन्य दो व्यक्ति भागनेमें सफल हो गये। पकड़ाये व्यक्ति ने पूछने पर अपना नाम जितेश पटेल उर्फ डीशु पटेल बताया। भागने वाला व्यक्ति का नाम विकाश यादव कारका मालिक एवं चालक तथा भुअर पासवान बतलाये। रोकी गई कार टाटा इण्डिको रजि. नं. WB20H 6116 की तलाशी स्वंतत्र गवाहों के समक्ष लेने पर कार के डिक्की में 16 कार्टून के अन्दर भरा हुआ कुल 736 बोतल क्रेजी रोमियों व्हिस्की मात्रा 200एम.एल. पंजाब निर्मित बरामद हुआ। पूछने पर डीशू पटेल ने बताया कि यह गाड़ी एवं शराब विकास यादव का है तााि यह सारा माल को विकाश यादव लोड कराकर सासाराम ले जा रहा था। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है इसलिए विदेशी शराब को कार सहित जप्ती नियम का पालन करते हुए जप्त किया गया जिसपर दोनों गवाहों ने अपना–अपना हस्ताक्षर बना दिया तथा डीशु पटेल को विधिवत गिरफ्तार किया गया जिसके आधार पर आरोपित करते हुये यह काण्ड अंकित किया गया।

उभयपक्षों के तर्कों को सुना एवं अभिलेख के साथ उपलब्ध काण्ड दैनिकी की का अवलोकन किया। काण्ड दैनिकी से यह स्पष्ट है कि काण्ड के अनुसंधानक द्वारा प्राथामिकी के नामजद अभियुक्त भुअर पासवान के विरूद्ध पूरक अनुसंधान जारी रखते हुये प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त जितेश पटेल उर्फ डिशु पटेल, विकाश यादव तथा अप्राथमिकी अभियुक्त भगवान बाबु उर्फ करन सोनकर के विरूद्ध धारा 414भा.द.वि. एवं धारा 30(a)बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत घटना को सत्य पाते हुये आरोप पत्र सं.. 84/2020 दिनांक 05.01.2020 को समर्पित किया गया है जिसका उल्लेख काण्ड दैनिकी के कंडिका 160 में किया गया है जिसके अधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तों के विरूद्ध अपराध का संज्ञान लिया गया

लगातार
02.03.2020 है। काण्ड दैनिकी के कंडिका 3 में वादी का पुनः बयान है तथा अनुसंधान के दौरान काण्ड दैनिकी के कंडिका 4 एवं 5 में अन्य जिन साक्षियों का बयान हुआ है, सभी ने घटना का पूर्ण समर्थन किया है। कंडिका 6 में जप्ती सूची को उल्लेखित किया गया है जिससे यह विदित होता है कि घटना के दिन व समय पर घटना स्थल से काफी अधिक मात्रा में अवैध शराब बरामद किया गया है तथा कंडिका 8 में घटना स्थल को उल्लेखित किया गया है। कंडिका 44 में जब्त शराब का जांच प्रतिवेदन है जिसमें शराब को स्वास्थ के लिएहानिकार कहा गया है। कंडिका 52 में यह कहा गया है कि छानबीन में तिलक चौहान पिता तिसमार चौहान ग्राम अखलासपुर थाना कैमूर जिला कैमूर द्वारा बतलाया गया कि जब्त वाहन/कार रजि.नं. एम.एच. 02पी.ए.–0713 भगवान बाबु पिता शोला सोनकर मुहल्ला तकिया थाना सासाराम मॉडल जिला रोहतास के नाम से दिनांक 11.09.2017 को बिक्री कर दिया है। कंडिका 62 में अप्राथमिकी अभियुक्त भगवान बाबु पिता शोला सोनकर मुहल्ला तकिया थाना सासाराम मॉडल जिला रोहतास का अपराधिक इतिहास का आवेदन प्राप्त होने तथा सासाराम नगर थाना काण्ड सं.1356/2017 दिनांक19.09.2017 को धारा 30(a),34,35 बिहार मद्य निषेध एवं संशोंधित उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत नामजद अभियुक्त है। कंडिका 67 में पुलिस निरीक्षक सासाराम का समीक्षात्मक टिप्पणी को उल्लेखित किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि जब्त गाड़ी के स्वामी के नाम पता सत्यापन के क्रम में यह बात प्रकाश में आया है कि उक्त गाड़ी का वर्तमान एवं अंतिम स्वामी भगवान बाबु पिता शोला सोनकर मु. तकिया थाना सासाराम जिला रोहतास है और इनके विरूद्ध पूर्व में सासाराम मॉडल थाना काण्ड सं. 1356/2017 दिनांक 19.09.2017 को धारा 30(a),34,35 बिहार मद्य निषेध एवं संशोंधित 2016 के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त है। कंडिका 99,119,136में यह उल्लेखित किया गया है कि अप्राथमिकी अभियुक्त भगवान बाबु पिता शोला सोनकर मुह. तकिया थाना सासाराम जिला रोहतास के घर पर छापामारी करने पर भगवान बाबु को फरार पाया गया। कंडिका 148 से यह स्पष्ट है कि दिनांक 07.12.2019 को काण्ड सं. 1045/2019 से सासाराम नगर थाना काण्ड सं. 1015/2018 में रिमाण्ड कराया गया है। कंडिका 161 से यह स्पष्ट है कि काण्ड का पूरक अनुसंधान अभी जारी है।

उपरोक्त वर्णित सभी तथ्यों, परिस्थितियों, वाद की प्रकृति एवं उसकी गम्भीरता तथा बरामद शराब की अत्याधिक मात्रा एवं काण्ड दैनिकी में उपलब्ध साक्ष्य तथा अपराधिक इतिहास एवं बरामद शराब की अत्यधिक मात्रा तथा आवेदक/अभियुक्त द्वारा पूरे बिहार राज्य में लागू पूर्ण शराब बंदी कानून के बावजूद भी अवैध ढंग से किये जा रहे शराब के व्यवसाय एवं परिवहन पर विचार करने के पश्चात यह न्यायालय आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करना उचित नहीं समझती है। तद्नुसार आवेदक की ओर से दाखिल जमानत आवेदन दिनांक 29.01.2020 को **अस्वीकृत** किया जाता है।

(लेखापित)

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह
विशेष न्यायाधीश, उत्पाद रोहतास,सासाराम